

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029
(विधि प्रकोष्ठ)

एफ.सं. 41-310/2016/विधि

दिनांक:

जापन

विषय: विभिन्न न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली की ओर से मुकदमे लड़ने के लिए काउंसल के पैनल का आगामी दो वर्ष अर्थात 2019-21 तक विस्तार करने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 00.12.2017, 04.01.2018 एवं 19.04.2018 के समसंख्यक जापन का संदर्भ लेने तथा दिनांक 09.12.2017 के समसंख्यक जापन के खंड 2 के अनुसार दिनांक 09.12.2019 से 08.12.2021 तक 2 वर्ष की आगामी अवधि के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं वाले पैनल के विस्तार हेतु सक्षम प्राधिकारी के निदेशों को सूचित करने का निदेश हुआ है:-

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम
1.	श्री अनुज जैन
2.	श्री के.पी. गौतम
3.	श्री वी.एस.आर. कृष्णा
4.	श्री सात्विक वर्मा
5.	श्री स्नेहाशीष मुखर्जी
6.	श्री अतुल कुमार
7.	डॉ. हर्ष पाठक
8.	सुश्री प्रीति सिंह
9.	डॉ. विक्रान्त नारायण वासुदेव
10.	श्री दुष्यंत पराशर
11.	श्री आनंद वर्मा
12.	सुश्री सोनाली मल्होत्रा
13.	श्री विभोर गर्ग
14.	श्री अवनीश गर्ग
15.	श्री जगदीश कुमार
16.	सुश्री आरती बंसल
17.	श्री सुशील कुमार पांडे
18.	श्री सत्या रंजन स्वैन
19.	श्री सिद्धार्थ खटाना
20.	श्री निपुन भारद्वाज
21.	श्री अजय दिग्पाल
22.	श्री संजय कुमार
23.	श्री रजत कुमार राठी
24.	सुश्री रचना गोलचा
25.	श्री संजय कुमार पाठक

2. उपर्युक्त काउंसल के लिए अन्य निबंधन एवं शर्तें दिनांक 09.12.2017 के समसंख्यक जापन (प्रति संलग्न) में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होगी एवं इस संबंध में अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निदेश भी उपर्युक्त काउंसल के मामले में लागू होंगे।

3. नोट:-

(i). श्री वी.एस.आर. कृष्णा, अधिवक्ता अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली की ओर से उच्च न्यायालय में अग्रिम प्रति / रिट याचिका तथा अन्य याचिका के नोटिस को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं एवं उक्त की प्राप्ति के पश्चात वह तत्काल ही अपने स्वयं के माध्यमों के द्वारा प्राप्त राहत (इस प्रकार की याचिका की प्रति के साथ) की प्रकृति के संबंध में विधि प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं. को सूचित करेंगे एवं विधि प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं. अपने विवेकानुसार पैनल में से किसी भी काउंसल को केस सौंप सकता है।

(ii) श्री सात्विक वर्मा, अधिवक्ता केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली में अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली की ओर से ओ.ए. की अग्रिम प्रति / नोटिस एवं अन्य याचिकाओं को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं एवं उक्त की प्राप्ति के पश्चात वह तत्काल ही अपने स्वयं के माध्यमों के द्वारा प्राप्त राहत (इस प्रकार की याचिका की प्रति के साथ) की प्रकृति के संबंध में विधि प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं. को सूचित करेंगे एवं विधि प्रकोष्ठ, अ.भा.आ.सं. अपने विवेकानुसार पैनल में से किसी भी काउंसल को केस सौंप सकता है।

4. दिनांक 09.12.2017 के कार्यलय जापन के खंड (i) के अनुक्रम में उपर्युक्त उल्लिखित सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि वह सहायक दस्तावेजों के साथ विशिष्ट रूप से इंगित करें कि क्या वह वरिष्ठ काउंसल घोषित किए गए हैं जिससे कि दिनांक 01.10.2015 के का.जा. या विधि एवं न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी उत्तमवर्ती दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें भुगतान किया जा सके।

इसे निदेशक, अ.भा.आ.सं. के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(निखिल भटनागर)

प्रशासनिक अधिकारी (विधि)

संलग्नक: यथोपरि

वितरण:-

उपर्युक्त सूचीबद्ध सभी संबंधित पैनल अधिवक्ता

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली
2. उप-निदेशक (प्रशासन), अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली
3. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय
4. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली
5. अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली के सभी केंद्र प्रभुरायण / सभी विभागाध्यक्षगण
6. चिकित्सा अधीक्षक, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली
7. रजिस्ट्रार, शैक्षिक अनुभाग, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली
9. अधीक्षण अभियंता, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / सभी अनुभाग / केंद्र / प्रकोष्ठ / विभागों के प्रशासनिक अधिकारी
11. प्रभारी, कंप्यूटर सुविधा, अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली- इस जापन को तत्काल ही अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

श्री संजीव, कृष्णा

पवन